व्यावसायिक आचार संहिता

1. संक्षिप्त विवरण

1.1. उद्देश्य

व्यावसायिक आचार संहिता में व्यवहार के उन सभी नियमों और मानकों के बारे में बताया गया है, जिनका पालन Junior Adventures Group (JAG) के सभी कर्मचारियों को करने की आवश्यकता है। हमारे कर्मचारी हमारे संगठन के एंबेसडर हैं और उन्हें हमारी सेवाओं में अपने बच्चों को भेजने वाले अभिभावकों एवं देखभालकर्ताओं का विशेषाधिकार प्राप्त है। इसलिए, हमें हमेशा बच्चों की सुरक्षा, विविधता और कल्याण को बढ़ावा देने, किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या नुकसान को रोकने और हमारे विविध समुदायों में कार्य करने की व्यावसायिक सीमाओं और तरीकों को दर्शाने वाले व्यवहार से पेश आने की आवश्यकता है। इस आचार संहिता में सभी बच्चों और युवा लोगों की सुरक्षा, कल्याण, अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने के लिए व्यावसायिक व्यवहार के अपेक्षित मानकों के बारे में बताया गया है। इसमें स्वीकार्य एवं अस्वीकार्य व्यवहारों के बारे में बताया गया है, जिसमें ग्रूमिंग (शोषण के लिए तैयार करना), सीमा उल्लंघन, जोखिम भरे व्यवहार और नुकसान के प्रारंभिक संकेतों की स्पष्ट परिभाषा शामिल की गई है, ताकि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का शीघ्र पता लगाने और उसे रोकने में सहायता मिल सके।

विषय क्षेत्र

JAG में कार्यरत सभी लोगों को इस संहिता में बताए गए नियमों, अपने रोजगार अनुबंध और अन्य महत्वपूर्ण नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कानून का पालन करना ज़रूरी है।

1.2. वैधानिक आवश्यकताएँ

शिक्षा एवं देखभाल सेवाएँ राष्ट्रीय विनियमों (Education and Care Services National Regulations) के तहत, JAG के लिए देखभाल में बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का होना ज़रूरी है।

2. आचार संहिता कथन

व्यावसायिक आचार संहिता में बच्चों, परिवारों, सहकर्मियों और समुदायों के अधिकारों और सम्मान को मान्यता और समर्थन देने वाली प्रतिबद्धता को दर्शाने वाले मुख्य सिद्धांतों की पहचान की गई है।

3. सिद्धांत

3.1. सर्वोच्चता सिद्धांत और व्यावसायिक उत्तरदायित्व

JAG में, हमारे काम के सभी पहलुओं और जो भी कार्य हम करते हैं, उसमें बच्चों की सुरक्षा, अधिकार और श्रेष्ठ हित सबसे महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा और देखभाल सेवाएँ प्रदान करते हुए, हर निर्णय, कार्य और पारस्परिक विचार-विमर्श में बच्चों के कल्याण, सुरक्षा और सम्मान को अन्य सभी पहलुओं से अधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। JAG में बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, नुकसान और दुराचरण को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है।

JAG में कार्यरत सभी लोगों को बच्चों को सुरक्षित रखने, उनके अधिकारों को समर्थन देने, और सुरक्षित, समावेशी एवं सम्मानजनक वातावरण को बढ़ावा देने वाले तरीकों से काम करने की जरूरत है। प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के मामलों में, बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।

बच्चों, परिवारों, सहकर्मियों और समुदाय के साथ व्यवसायी के रूप में भरोसे एवं प्रभाव की विशेष भूमिका निभाते हुए, JAG में कार्यरत सभी लोगों को हर समय और ऑनलाइन एवं वर्चुअल जगहों सहित हर प्रकार के वातावरण में नैतिक, कानूनी और व्यवसायी रूप से कार्य करते हुए व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

JAG में कार्यरत सभी लोगों को इन चीजों का पालन करने की आवश्यकता है:

- हर बच्चे को शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और यौन नुकसान से सुरक्षित रखना।
- हर समय व्यावसायिक सीमाओं को बनाए रखना — किसी के साथ पक्षपात, विशेष व्यवहार, भेद, अकेले पल या निजी संबंध नहीं रखना।
- यह समझना कि ग्रूमिंग हानिरहित दिखने वाले व्यवहारों का सिलसिला हो सकता है जो धीरे-धीरे सीमाओं का उल्लंघन करता है।
- किसी भी चिंताजनक व्यवहार या सामान्य चिंताओं के बारे में यथाशीघ्र सर्विस कोऑर्डिनेटर या रीजनल / सर्विस मैनेजर या रीजनल डायरेक्टर या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख (National Safeguarding Lead) को बताना - हम प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं करते हैं।

3.2. पारस्परिक सम्मान, समानता और निष्पक्षता

सभी महत्वपूर्ण आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ काम करते समय पारस्परिक सम्मान, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए व्यावसायिकता को दर्शाया जाता है। टीम के साथ मिलकर काम करने से बच्चों को सर्वश्रेष्ठ अनुभव मिलता है।

3.3. भर्ती और स्क्रीनिंग

JAG ऐसे लोगों को भर्ती करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धित है जो बच्चों के साथ काम करने के लिए उपयुक्त हैं, बच्चों के साथ काम करने के लिए उपयुक्त बने रहते हैं और जो हमारे बाल सुरक्षा सिद्धांतों को मान्यता देते हैं।
भर्ती और स्क्रीनिंग की सभी प्रक्रियाओं को इस प्रकार बनाया गया है ताकि उम्मीदवार की बच्चों के साथ काम करने की उपयुक्तता की जांच और पुष्टि की जा सके। इसमें व्यवहारिक आकलन, बाल सुरक्षा सिद्धांतों के हिसाब से संरचित इंटरव्यू, योग्यता और अनुभव की जांच, और विस्तृत बैकग्राउंड जांच भी शामिल हैं।
बैकग्राउंड जांच में वर्किंग विद चिल्ड्रन चेक्स, नेशनल क्रिमिनल हिस्ट्री चेक्स, रेफरेंस चेक्स, और सुरक्षा घोषणाएँ शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
रोज़गार तभी जारी रह सकता है यदि इन ज़रूरतों को बनाए रखा जाए और बाल सुरक्षा और उपयुक्तता मानकों को पूरा किया जाए।
सभी कर्मचारियों को नेशनल चाइल्ड सेफ़्टी ट्रेनिंग मॉड्यूल (राष्ट्रीय बाल सुरक्षा प्रशिक्षण मॉडयूल्स) - 'फ़ाउंडेशन ऑफ़ चाइल्ड सेफ़्टी ट्रेनिंग' पूरा करना ज़रूरी है। यह राष्ट्रीय कानून के तहत महत्वपूर्ण अनुपालन आवश्यकता है।

3.4. कर्मचारियों के कार्य और व्यवहार

कर्मचारियों के कार्य और व्यवहार में JAG की मान्यताओं और सोच के साथ-साथ *मेरा समय, हमारी जगह (My Time, Our Place)*: *ऑस्ट्रेलिया में स्कूल जाने वाले बच्चों की देखभाल का ढांचा (v2.0)*, प्रारंभिक बाल्यावस्था ऑस्ट्रेलिया (ECA) नैतिक व्यवहार संहिता और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड) (UNCRC) में बताए गए सिद्धांत और प्रक्रियाएँ झलकती हैं, जिन्हें वे व्यक्तिगत तौर पर लागू करते हैं और अपनी टीम को भी नियमित तौर से इनके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
इसमें इन बातों को मान्यता देना शामिल है कि:

- हर बच्चा अलग होता है और उसकी रुचियाँ, अनुभव और क्षमताएँ भी अलग होती हैं
- हर बच्चे के पास नागरिक, सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक और आर्थिक अधिकार होते हैं
- हर बच्चा समानता और अपनेपन की मजबूत भावना को बढ़ावा देने वाली निष्पक्ष और समावेशी प्रक्रियाओं तक पहुँच रखता है
- कल्याण, शिक्षा और विकास आंतरिक रूप से आराम और खेल से जुड़े हुए हैं।

इसके साथ ही:

- शिक्षा और शिक्षण विशेष ज्ञान और अनेक दृष्टिकोणों पर आधारित होते हैं
- परिवारों और समुदाय के साथ साझेदारी बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और देखभाल प्रमाण-आधारित और समकालीन तरीकों के अनुरूप होती है
- एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग इस भूमि पर हज़ारों वर्षों से बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षण करते आए हैं; ECA नैतिक व्यवहार संहिता (2016) एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के रहने और बच्चों की देखभाल करने के पारंपरिक तरीकों को मान्यता प्रदान करती है।

3.5. अपेक्षित कर्मचारी आचरण

हम JAG में कार्यरत लोगों से जिस व्यवहार, रवैये और नज़रिए की उम्मीद करते हैं, उसे स्पष्ट रूप से जानने के लिए कृपया निम्नलिखित मुख्य उदाहरण देखें:

- बच्चों को हमारी नीतियों, प्रक्रियाओं और सहमत प्रथाओं के अनुपालन के माध्यम से प्रभावी रूप से देखभाल, निगरानी और हर समय सुरक्षा प्रदान किए जाना सुनिश्चित करना
- बच्चों को उनकी उम्र और अवस्था के अनुसार विकासात्मक रूप से समृद्ध कार्यक्रम प्रदान किए जाना सुनिश्चित करना
- बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, ऑनलाइन और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना।
- हर समय व्यावसायिक सीमाओं को बनाए रखना — किसी के साथ पक्षपात, विशेष व्यवहार, भेद, अकेले पल या निजी संबंध नहीं रखना।
- यह समझना कि ग्रूमिंग हानिरहित दिखने वाले व्यवहारों का सिलसिला हो सकता है जो धीरे-धीरे सीमाओं का उल्लंघन करता है।
- किसी भी चिंताजनक व्यवहार के बारे में यथाशीघ्र बताना - हम प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं करते हैं।
- यह समझना कि कार्रवाई न करना भी रिपोर्ट करने लायक व्यवहार हो सकता है।
- हर समय व्यावसायिक, नैतिक और उचित रूप से व्यवहार करना और पेश आना

- केवल व्यावसयिक और उचित रिश्तों में ही शामिल होना
- जानकारी और परिस्थितियों को संभालते समय गोपनीयता और संवेदनशीलता बनाए रखना
- मौजूदा व्यावसायिक मानकों के अनुसार ज्ञान कौशल और अभ्यास को अपडेट करना
- अपने सहकर्मियों को उनके लक्ष्य, उद्देश्य और गंतव्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना
- बच्चों के साथ काम करने के लिए उचित और योग्य इंसान बनना
- हमारी मान्यताओं और सिद्धांतों के अनुरूप पेश आना, और हर समय गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने का प्रयास करना
- कार्यस्थल पर सम्मान नीति (Respect at Work Policy) के अनुरूप काम किए जाना सुनिश्चित करना और दूसरों के प्रति भेदभाव, अत्याचार, डराना-धमकाना या उत्पीड़न के किसी भी काम में शामिल नहीं होना।
- JAG में कार्यरत लोगों या बच्चों के साथ JAG केयर या JAG के वातावरण में किसी भी प्रकार के शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है।
- JAG में कार्यस्थल पर किए गए दुर्व्यवहार, उत्पीड़न,या डराने-धमकाने वाले व्यवहार को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है।

3.6. अनुचित आचरण

राष्ट्रीय क़ानून के तहत, JAG केयर या JAG के वातावरण में किसी भी बच्चे या युवा व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार करना अपराध है। अनुचित व्यवहार में ये शामिल हैं, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- व्यावसायिक मानकों की पालना न करना
- भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, या शारीरिक नुकसान पहुँचाने वाला या पहुँचाने की संभावना पैदा करने वाला व्यवहार
- या हिंसक या यौन अर्थ रखने वाला व्यवहार

कोई व्यवहार अनुचित है या नहीं, इसका निर्णय लेते समय बच्चे या युवा व्यक्ति की उम्र और विकास की अवस्था को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। कोई भी बच्चा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित व्यवहार का शिकार हो सकता है, इस प्रकार के व्यवहार में ये शामिल हैं:

- बच्चों या युवा व्यक्ति के साथ हिंसक या उनकी उम्र या विकास की अवस्था के अनुसार अनुचित शारीरिक संपर्क बनाना
- बच्चों के साथ अनुचित रूप से किया गया मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक संवाद या बातचीत – इसमें बच्चों के साथ प्रत्यक्ष रूप से या उनकी उपस्थिति में की गई बातचीत शामिल है
- टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अनुचित रूप से फिल्मिंग, रिकॉर्डिंग या दस्तावेज बनाना
- ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ अनुचित रूप से बातचीत करना
- बार-बार किए गए अनुचित अनचाहे कार्य या व्यवहार

यह आवश्यक है कि JAG केयर या JAG के वातावरण में बच्चों या युवाओं के विरुद्ध या उनकी उपस्थिति में अनुचित अनुशासन का इस्तेमाल नहीं किया जाए। अनुचित अनुशासन से अर्थ है किसी भी तरह की शारीरिक सज़ा या ऐसा अनुशासन जो परिस्थिति के मुताबिक गलत हो, जैसे:

- किसी बच्चे या युवा व्यक्ति के व्यवहार को सुधारने के लिए उठाए गए अनुचित कदम। सज़ा के साथ जुड़ी कार्रवाई और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए हानिकारक कदम
- अनुशासन की स्थिति में नुकसान पहुँचाने, सज़ा देने या व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अनुचित भाषा या बातचीत के तरीकों का इस्तेमाल

- अनुशासन की स्थिति में नुकसान पहुँचाने, सज़ा देने या व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए - बुनियादी ज़रूरतों जैसे कुछ खाने या पीने नहीं देना या इससे वंचित करना।

3.7. ग्रूमिंग (शोषण के लिए तैयार करना) और सीमा का उल्लंघन – (यथाशीघ्र रिपोर्ट करने की आवश्यकता है)

नीचे कुछ पहचान किए गए ग्रूमिंग जोखिम भरे व्यवहारों के बारे में बताया गया है, इनकी रिपोर्ट ऐसे मामलों में भी किए जाने की आवश्यकता है जहाँ इनका मकसद अस्पष्ट है:

- बहुत ज़्यादा निजी बातें (बड़ों की परेशानियाँ यां, रिश्तों की समस्याएँ, तनाव, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि) साझा करना
- बच्चे की सहमति के बिना शारीरिक संपर्क बनाना (गले लगाना, गोद में बैठाना, हाथ सहलाना, बाल छूना)
- कुछ चुनिंदा बच्चों को गिफ़्ट, खाने की चीज़ें या इनाम देना
- कुछ "खास" रिश्ते बनाना या पक्षपात करना
- कर्मचारियों और बच्चों के बीच गोपनीयता को बढ़ावा देना ("इस बारे में अपनी माँ को मत बताना)
- किसी बच्चे को अन्य बच्चों से अलग करना, निजी रूप से मैसेज भेजना, गुप्त रूप से बातचीत करना
- किसी भी ऐसे व्यवहार को सुरक्षा संबंधी चिंता माने जाने की आवश्यकता है जिससे बच्चा असहज, भ्रमित, असुरक्षित या अकेला महसूस करता है - फिर चाहे इसका कोई स्पष्ट मकसद साबित न हुआ हो।

3.8. अभ्यास और नीति में बदलाव

सभी कर्मचारी हर समय बच्चों को शिक्षा और देखभाल प्रदान करने संबंधी संगठनात्मक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। कर्मचारियों को JAG में अभ्यास और नीति में होने वाले बदलावों के साथ अपडेट रहने और मौजूदा व्यावसायिक मानकों के अनुरूप अपने कौशल और ज्ञान को नियमित रूप से अपडेट करने की आवश्यकता है। कंपनी किसी भी समय इस पॉलिसी को बदलने और अपडेट करने का अधिकार रखती है। किसी भी बदलाव के बारे में या तो सीधे संबंधित लोगों को बताया जाएगा या फिर पॉलिसी को इंट्रानेट पर या अन्य दूसरे तरीकों से अपडेट और प्रसारित किया जाएगा ताकि कंपनी में इन नीतियों और प्रक्रियाओं तक सभी की पहुँच हो।

3.9. रिपोर्टिंग आचरण

यदि आप इन चीजों को देखते हैं या आपको इनके बारे में पता चलता है:

- चिंता या संदेह — इसमें ग्रूमिंग संकेत, सीमा का उल्लंघन, असहज व्यवहार शामिल हैं
- ऐसा व्यवहार जो रिपोर्ट करने लायक हो सकता है (शारीरिक हानि, लापरवाही, मानसिक हानि, यौन दुर्व्यवहार)
- किसी बच्चे को संभावित या वास्तविक नुकसान
- कोई सहकर्मी किसी मामले की रिपोर्ट नहीं करता है या "सारी चिंताओं के बारे में नहीं बताता है"

आपको इन्हें रिपोर्ट करने की आवश्यकता है:

- सर्विस मैनेजर या रीजनल मैनेजर और/या सेफगार्डिंग इनबॉक्स

यदि आपको इस बारे में सूचित या सतर्क किया जाता है, या आप जानते हैं कि कोई कर्मचारी बच्चों के साथ प्रत्यक्ष रूप से या उनकी उपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन

गेमिंग या वर्चुअल संवाद या बातचीत में शामिल है - - तो इसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र अपने सुपरवाइजर या नेशनल सेफ़गार्डिंग को किए जाने की आवश्यकता है।

3.10. समकालीन अभ्यास

सभी कर्मचारी स्वयं को समकालीन अभ्यासों से अपडेट रखेंगे, जिसमें व्यवस्थित निर्णय लेने, समीक्षा करने और लगातार सुधार करने के तरीकों को बढ़ावा देने वाले उपकरण और संसाधनों का इस्तेमाल करना शामिल है ताकि बच्चों के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

3.11. अनसुलझे मुद्दे

प्रत्येक कर्मचारी अपने काम के दौरान सामना करने वाले मुद्दों या चिंताओं को सबसे पहले संबंधित व्यक्ति के समक्ष व्यक्त करेगा। कर्मचारी अनसुलझे मुद्दों को सर्विस लीडर या मैनेजमेंट के पास भेजेंगे। व्यावसायिकता को सुनिश्चित करने और मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए, कर्मचारी समाधान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों के अलावा किसी और से इस बारे में बातचीत नहीं करेंगे।

यदि कोई कर्मचारी ऐसे काम में शामिल होता है जो हमारी व्यावसायिक आचार संहिता के अनुरूप नहीं है या Junior Adventures Group की अन्य नीतियों के विरुद्ध है , तो उसके व्यवहार या कामों की समीक्षा हमारी *मैनेजिंग फॉर परफॉर्मेंस* नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी।

3.12. हितधारकों के साथ संबंध

अपने रोजगार अनुबंध के हिस्से के तौर पर, सभी कर्मचारी हर समय सभी हितधारकों के साथ स्पष्ट, उचित और व्यावसायिक रिश्ते बनाए रखेंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवा में परिवारों, बच्चों या कर्मचारियों के साथ रिश्तों में कोई संभावित या कथित असमानता न हो।

3.13. हितों का टकराव (Conflicts of Interest)

सभी कर्मचारियों को *बच्चों और युवाओं की सुरक्षा संबंधी घोषणा (Safeguarding children and young people declaration)* को पूरा करने और सभी संभावित या अनुमानित टकरावों के बारे में प्राथमिकता के आधार पर बताने की आवश्यकता है। यदि कर्मचारी इस बारे में अनिश्चित है कि यह हितों के टकराव की स्थिति है या नहीं, तो उन्हें अपने मैनेजर से बात करने और सलाह लेने की आवश्यकता है।

सीनियर मैनेजमेंट के सदस्य हर साल और स्थिति में बदलाव होने पर हितों के टकराव संबंधी घोषणा (conflict-of-interest declaration) पर हस्ताक्षर करेंगे।

3.14. व्यावसायिक आचरण का उल्लंघन

मैनेजमेंट द्वारा प्रमाणों के आधार पर व्यावसायिक व्यवहार के किसी भी उल्लंघन का आकलन किया जाएगा और कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार कोई भी कदम उठाने का निर्णय लिया जाएगा।

सीमा का उल्लंघन और ग्रूमिंग संबंधित जोखिम भरे व्यवहारों सहित, इस संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी जिसमें ये शामिल हो सकता है:

- औपचारिक चेतावनी या पुनः प्रशिक्षण
- जांच समाप्त होने तक बच्चों की देखभाल से जुड़े कामों से हटाए जाना
- रिपोर्ट करने योग्य आचरण प्राधिकरण (Reportable Conduct Authority) को अनिवार्य सूचना देना
- रोजगार से निष्कासन
- जिन मामलों में आपराधिक जोखिम की पहचान होती है, उन्हें कानून प्रवर्तन को रेफर करना।

3.15. व्यावसायिक आचरण का उल्लंघन

JAG में कार्यरत सभी लोग सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं। इसमें अपने स्वयं के स्वास्थ्य और सुरक्षा का उचित रूप से ध्यान रखना और दूसरों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना शामिल है।

JAG में कार्यरत सभी लोगों के लिए यह ज़रूरी है:

- कार्य संबंधी स्वास्थ्य और सुरक्षा (WHS) कानूनों,नीतियों और प्रक्रियाओं की पालना करना
- शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित काम करने वाला वातावरण बनाना
- खतरों, जोखिमों, घटनाओं या असुरक्षित कामों की यथाशीघ्र रिपोर्ट करना
- यह आवश्यक है कि कर्मचारी काम पर आते समय या काम करते समय शराब या ड्रग्स के नशे में न हों, और वे किसी भी JAG वातावरण में गैर-कानूनी पदार्थों या चीज़ों को अपने पास न रखें, उनका इस्तेमाल न करें या उन्हें अन्य लोगों को न दें।

कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे सुरक्षा या कल्याण से समझौता हो, उसे इस आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

नीतियाँ और अभ्यास बाल सुरक्षा संगठनों के लिए राष्ट्रीय सिद्धांतों सहित संबंधित कानून को दर्शाते हैं।

4. मुख्य शब्द

शब्द	परिभाषा:
ECA नैतिक व्यवहार संहिता	प्रारंभिक बाल्यावस्था ऑस्ट्रेलिया (Early Childhood Australia)(ECA) नैतिक व्यवहार संहिता में उन मुख्य सिद्धांतों और विचारों के बारे में बताया गया है जो सेवा वितरण में नैतिकता को सुनिश्चित करते हैं।
मेरा समय, हमारा स्थान (My Time, Our Place) (v2.0)	ऑस्ट्रेलिया में स्कूल जाने वाले बच्चों की देखभाल के लिए ढांचा जिसमें उन मुख्य सिद्धांतों और अभ्यासों के बारे में बताया गया है जो सेवा वितरण में अच्छे अभ्यास परिणामों को सुनिश्चित करते हैं
सर्विस लीडर	ऐसा व्यक्ति जो किसी सेवा की देखरेख इनमें से किसी एक भूमिका के तौर पर करता है: 1. अनुमोदित प्रदाता: यदि अनुमोदित प्रदाता कोई व्यक्ति है, अन्य मामलों में, सेवा का प्रबंधन या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति 2. सेवा का नामांकित सुपरवाइजर 3. ऐसा ज़िम्मेदार व्यक्ति जिसे नामांकित सुपरवाइज़र की गैर-मौजूदगी में सेवा का दैनिक इंचार्ज बनाया गया है।
UNCRC	संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड) (UNCRC), जो सभी बच्चों के के बुनियादी अधिकार तय करता है

5. संदर्भ:

शिक्षा और देखभाल सेवाएँ राष्ट्रीय कानून एवं विनियम
बच्चों की शिक्षा और देखभाल सेवाएँ राष्ट्रीय कानून अधिनियम 2010

प्रारंभिक बाल्यावस्था ऑस्ट्रेलिया नैतिक व्यवहार संहिता (2016)
शैक्षिक और देखभाल सेवाएँ राष्ट्रीय विनियम
प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल एवं स्कूल देखभाल के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक
संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC)
बच्चों की तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए नेशनल मॉडल कोड
अन्य प्रासंगिक कानून
विनियमन 82 – तंबाकू, नशीली दवाओं और शराब मुक्त वातावरण
विनियमन 83 – कर्मचारी और फैमिली डे केयर शिक्षक शराब या ड्रग्स के नशे में नहीं होने चाहिए
विनियमन 151 – बच्चों के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले शिक्षकों का रिकॉर्ड
विनियमन 155 – बच्चों के साथ बातचीत
विनियमन 156 – समूहों में संबंध
विनियमन 168 – शिक्षा और देखभाल सेवा में नीतियाँ और प्रक्रियाएँ होने की आवश्यकता है
विनियमन 170 – पालन की जाने वाली नीतियाँ और प्रक्रियाएँ
विनियमन 171– उपलब्ध रखी जाने वाली नीतियाँ और प्रक्रियाएँ
विनियमन 172 – नीतियों या प्रक्रियाओं में बदलाव की सूचना
संबंधित नीतियाँ
HR नीतियाँ, जिसमें ऑनबोर्डिंग, ओरिएंटेशन, इंडक्शन शामिल हैं
संबंधित प्रक्रियाएँ
प्रक्रिया संग्रह
अन्य
गुणवत्ता क्षेत्र 4, 5 और 7: मानक 4.2, 5.1, 7.1, 7.2
बाल सुरक्षा मानकों के लिए OCG गाइड - https://ocg.nsw.gov.au/child-safe-scheme
सामाजिक सेवा नियामक (SSR) - बाल सुरक्षा मानक | vic.gov.au
बच्चों के लिए सुरक्षित संगठनों के लिए राष्ट्रीय सिद्धांत - https://childsafe.humanrights.gov.au/national-principles

प्रारूप	3.1
समय के साथ दस्तावेज में किए गए बदलाव (चेंज हिस्ट्री)	समय के साथ दस्तावेज में किए गए बदलावों का रिकॉर्ड (चेंज रजिस्टर)
स्वीकृति प्राप्ति तिथि	20/04/2026
कार्यान्वयन की तिथि	18/05/2026
दस्तावेज़ ओनर (मालिक)	CEO
दस्तावेज़ अनुमोदक	अनुमोदित प्रदाता/GM PCP
अगली समीक्षा	12 महीने